राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासेन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS EXCISE & NARCOTICS
Government of India, Ministery of Finance, Department of Revenue
NACEN Complex, Sector-29, Faridabd-121008
फोन /Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

F.No.II (11)84/2016-NACEN **Dated: 22.12.2016**

Subject: One day Course for commissioners (Appeals) on 6th February, 2017 to sensitize them about the need for passing judicious, reasoned & proper orders–reg.

The National Academy of Customs, Excise and Narcotics, Faridabad is organizing **specialized course** for Commissioners (Appeals) on 6th February, 2017. The above training is being organized in coordination with the Directorate of Legal Affairs, CBEC. The course, inter alia, will cover topics relevant for the Commissioners (Appeals). It will cover various topics like noscitur a sociss/ejusdem generis in indirect tax laws, legal personality, nature and types of penalties & limits of natural justice etc.

2. It is requested that **Commissioners (Appeals)** working under your zone/charge may be nominated for participating in the above course.

3 Nominations may please be sent by FAX/Speed Post/e-mail to Shri Manoj Lakra, Assistant Director, NACEN, Faridabad **and should reach this office** by 2nd February, 2017 (Telephone No. 0129 – 2504649, Fax No. 0129- 2504632, E-mail: nacenfbd.ist@gmail.com). The telephone/mobile numbers and e-mail ids (in capital letters) of the nominated officers may also be indicated in the nomination letters so as to facilitate contact/communication.

4. It may kindly be ensured that once nominated, officers do report for attending the training course as last minute cancellation/withdrawal results in considerable administrative and financial issues.

5. It may be mentioned that limited hostel facilities are available for the participants, who wish to stay in campus. For the participants, the hostel and mess charges (all inclusive) shall be approximately Rs. 650/- per day. This includes Rs. 100/- room rent, Rs. 100/- Breakfast + bed tea, Rs. 200/- for dinner and Rs. 250/- for lunch and tea/snacks (twice a day), which is to be paid separately at the time of registration. Request for stay at campus in hostel may be sent directly to Additional Director (Admn.), NACEN, at e-mail id: nacengangotri@gmail.com.

Condt.....2

6. In case participants are desirous of staying in a nearby hotel, the available options are K Hotel, Sector 31, Faridabad (Phone No. 0129-4292777 Ext-101, 8527999752, 8527999757), Hotel Goldfinch (Phone No. 9560795251) & Hotel Vibe By The Lalit Traveller(Phone No. 0129-4290000). Participants can contact them on above number for accommodation.

7. The nominated officers may please be advised to report to the Academy at Sector 29, Near Police Lines, Faridabad on **06-02-2017** at 9.30 a.m. positively for attending the training course. Nearest Metro Station is Sector-28 on the Violet Line. As the valedictory function on **06-02-2017 may continue up to 6.00 p.m.,** the officers may be advised to plan their return journey accordingly.

22/12/2016

(Reena Arya)
Additional Director General
NACEN, Faridabad

To,

1. **The Chief Commissioners of Customs (All)**
2. **The Chief Commissioners of Central Excise (All)**
3. **The Chief Commissioners of Customs & Central Excise (All)**

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासेन कॉम्पलैक्स, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS EXCISE & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACEN Complex, Sector 29, Faridabad-121008
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

फा.सं. II(11)84/2016-नासेन

दिनांक : 22/12/2016

विषय: आयुक्त (अपील) को न्यासंगत, तार्किक एवं उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु 6 फरवरी, 2017 को एक दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन - से सम्बंधित ।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद दिनांक **6 फरवरी, 2017 को आयुक्त (अपील) हेतु विशेषीकृत पाठ्यक्रम** का आयोजन कर रही है । उपरोक्त प्रशिक्षण का आयोजन विधि निदेशालय, सीबीईसी के सहयोग के साथ किया जा रहा है । पाठ्यक्रम में आयुक्त (अपील) हेतु प्रासंगिक विषय शामिल होंगे । इसमें, अप्रत्यक्ष कर कानूनों में नोसिटुर ए सोसिस/एजुसडम जेनेरिस, वैध व्यक्तित्व, दण्डों की प्रकृति एवं इसमें और प्राकृतिक न्याय आदि की सीमायें शामिल होंगी ।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने जोन/चार्ज से **आयुक्त (अपील) को** नामांकित करने की कृपा करें ।

3. नामांकन कृपया फैक्स/स्पीड-पोस्ट/ई-मेल द्वारा श्री मनोज लकरा, सहायक निदेशक नासेन फरीदाबाद को **दिनांक 2 फरवरी, 2017 तक भिजवा दिए जाएँ** (दूरभाष सं. 0129 - 2504649, फैक्स सं. 0129 - 2504632, ई-मेल nacenfbd.ist@gmail.com । नामांकित अधिकारियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर एवम् ई-मेल पते भी नामांकन पत्रों में दिए जाएँ ताकि सुविधानुसार उनसे सम्पर्क/सम्प्रेषण किया जा सके।

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस अधिकारी को नामांकित किया जाए वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रिपोर्ट करे, चूँकि अंतिम क्षणों में नामांकनों को रद्द करने/वापस लेने से प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएँ हो सकती हैं ।

5. यह भी उल्लेख किया जाता है कि जो प्रतिभागी कैम्पस में ठहरना चाहते हैं उनके लिए सीमित होस्टल सुविधा उपलब्ध है । प्रतिभागियों के लिए, होस्टल एवं मैस प्रभार के लिए (कुल मिलाकर) लगभग 650/-रुपये होंगे । इसमें कमरे का किराया 100/- रुपये, नाश्ता + सुबह की चाय 100/- रुपये, रात्रिभोज हेतु 200/- रुपये एवं दोपहर के भोजन और चाय/स्नेक्स (दिन में दो बार) हेतु 250/- रुपये शामिल हैं, जिनका भुगतान पंजीकरण के समय अलग से किया जाएगा । यदि कैम्पस में आवास की आवश्यकता हो, तो इसकी सूचना होस्टल के प्रभारी अधीक्षक को दूरभाष सं. 0129 - 2500205 (एक्सटेंसन-730) पर कम से कम 7 दिन पहले दी जाए । यदि कैम्पस के छात्रावास मे ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए अनुरोध अपर निदेशक (प्रशासन) नासेन को ई-मेल nacengangotri@gmail.com पर भेजा जाए ।

6. यदि प्रतिभागी किसी नजदीकी होटल में ठहरने के इच्छुक हों तो उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं; **'के' (K) होटल, सेक्टर 31, फरीदाबाद** (दूरभाष सं. 0129-4292777, एक्सटेंशन-101, मोबाइल-8527999752, 8527999757), **होटल गोल्ड फिन्च** (दूरभाष सं. 9560795251) तथा **होटल वाइब बाई दि ललित** (दूरभाष सं.0129-429000) । प्रतिभागी आवास हेतु उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं।

7. नामांकित अधिकारियों को कृपया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अनिवार्य रुप से दिनांक **06/02/2017** को प्रात: 09.30 बजे सैक्टर-29, नजदीक पुलिस लाईन, फरीदाबाद स्थित अकादमी पर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए । इस अकादमी का नजदीकी मैट्रो स्टेशन वॉयलेट लाईन पर सैक्टर-28 है । चूँकि समापन विदाई समारोह दिनांक **06/02/2017 को सॉय 6.00 बजे तक जारी रह सकता है** अत: अधिकारियों को अपनी वापसी की यात्रा को तदनुसार ही तय करने हेतु सलाह दी जाए ।

भवदीया,

हस्ताक्षरित

(रीना आर्या)
अपर महानिदेशक
नासेन, फरीदाबाद

सेवा में,

1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)